सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण, 1941 (श०)

संख्या- 638 राँची, मंगलवार, 6 अगस्त, 2019 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

19 जुलाई, 2019

विषयः- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में उल्लेखित विभिन्न योजनाओं की पारदर्शिता और उचित कार्यान्वयन हेतु सतर्कता समितियों के पुनर्गठन के संबंध में।

संख्या-06/05 सतर्कता समिति (नीतिगत)-02/2017-2124--राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 जो झारखण्ड राज्य में लागू हो गया है, के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यान्वयन को तथा ऐसी प्रणाली में, कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य-स्तरीय, जिला-स्तरीय, प्रखण्ड-स्तरीय, शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड-स्तरीय एवं पंचायत-स्तरीय सतर्कता समितियों के गठन के संबंध में अधिनियम की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सतर्कता समितियों (Vigilance Committees) का गठन विभागीय संकल्प संख्या 4358, दिनांक 02.09.2015 के आलोक में किया गया है।

परन्तु उक्त उल्लेखित विभागीय संकल्प संख्या 4358, दिनांक 02.09.2015 के उपरान्त ही राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू हुआ है और झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2019 भी गठित हुआ है। साथ ही पंचायती राज प्रतिनिधियों को भी लक्षित जन वितरण प्रणाली के अनुश्रवण का अधिकार अलग से प्रत्यायोजित कर दिया गया है।

उक्त के आलोक में सभी स्तर के सतर्कता समितियों के गठन एवं क्रियान्वयन में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो रही है।

2. तद्नुसार विभागीय संकल्प संख्या 4358, दिनांक 02.09.2015 को निरस्त एवं इसके द्वारा गठित विभिन्न सतर्कता समितियों को भंग करते हुए निम्नवत् पुनर्गठित किया जाता हैः-

(A) राज्य-स्तरीय सतर्कता समिति

(i) मंत्री, -अध्यक्ष।
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता
मामले विभाग, झारखण्ड।

(ii) मंत्री, -सदस्य।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड।

(iii) मंत्री, -सदस्य।
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
झारखण्ड।

(iv) मंत्री, -सदस्य।
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक
सुरक्षा विभाग, झारखण्ड।

(v) अध्यक्ष, -सदस्य।
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
झारखण्ड।

(vi) प्रधान सचिव/सचिव - सदस्य सचिव।
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड।

(vii) प्रधान सचिव/सचिव - सदस्य।
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक
सुरक्षा विभाग, झारखण्ड।

(viii) प्रधान सचिव/सचिव - सदस्य।
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
झारखण्ड।

(ix) निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण - सदस्य।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखण्ड।

(x) झारखण्ड के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों - सदस्य।
द्वारा प्राधिकृत एक-एक प्रतिनिधि।

(xi) मनोनीत 21 (इक्कीस) व्यक्ति - सदस्य।
जिनमें एक निःसहाय/निःशक्त वर्ग का व्यक्ति अवश्य हो।
साथ ही प्रत्येक प्रमण्डल से एक-एक अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग का सदस्य अवश्य हो।

(B) जिला-स्तरीय सतर्कता समिति

(i)	संबंधित जिला के सांसद (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संबंधित जिला हेतु मनोनीत सांसद)	- अध्यक्ष।
(ii)	जिला के सभी सांसद	- सदस्य।
(iii)	जिला के सभी विधायक	- सदस्य।
(iv)	जिला परिषद् के अध्यक्ष	- सदस्य।
(v)	उपायुक्त	- सदस्य।
(vi)	जिला आपूर्ति पदाधिकारी	- सदस्य सचिव।
(vii)	जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन	- सदस्य।
(viii)	असैनिक शल्य चिकित्सक	- सदस्य।
(ix)	जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी	- सदस्य।
(x)	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी	- सदस्य।
(xi)	संबंधित नगर निगम/नगरपालिका के मेयर/अध्यक्ष (यदि हो तो)।	- सदस्य।
(xii)	झारखण्ड के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा प्राधिकृत एक-एक प्रतिनिधि।	- सदस्य।
(xiii)	मनोनीत 07 (सात) व्यक्ति जिनमें एक-एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःसहाय/निःशक्त एवं महिला वर्ग का सदस्य अवश्य हो।	- सदस्य।

(C)(क) प्रखण्ड-स्तरीय सतर्कता समिति

(i)	प्रखण्ड के प्रमुख	- अध्यक्ष।
(ii)	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	- सदस्य।
(iii)	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी	- सदस्य सचिव।
(iv)	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	- सदस्य।
(v)	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	- सदस्य।
(vi)	प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी-सह-प्रभारी, मध्याह्न भोजन	- सदस्य।
(vii)	प्रखण्ड के सभी मुखिया	- सदस्य।
(viii)	प्रखण्ड के सभी पंचायत समिति के सदस्य	- सदस्य।
(ix)	मनोनीत 07 (सात) व्यक्ति जिनमें एक-एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःसहाय/निःशक्त एवं महिला वर्ग का सदस्य अवश्य हो।	- सदस्य।

(ख) नगर निकाय-स्तरीय सतर्कता समिति

(i)	संबंधित नगर निकाय के मेयर/अध्यक्ष	- अध्यक्ष।
(ii)	संबंधित नगर निकाय के सभी वार्ड सदस्य	- सदस्य।
(iii)	संबंधित नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी	- सदस्य।
(iv)	जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन	-सदस्य।
(v)	पणन पदाधिकारी	- सदस्य सचिव।
(vi)	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	- सदस्य।
(vii)	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	- सदस्य।
(viii)	मनोनीत 07 (सात) व्यक्ति जिनमें एक-एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःसहाय/निःशक्त एवं महिला वर्ग का सदस्य अवश्य हो।	- सदस्य।

(D)(क) नगरीय क्षेत्र हेतु वार्ड स्तरीय सतर्कता समिति

(i)	संबधित वार्ड पार्षद	- अध्यक्ष।
(ii)	महिला पर्यवेक्षिका	- सदस्य सचिव।
(iii)	सभी विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष	- सदस्य।
(iv)	सभी विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव	- सदस्य।
(v)	संबंधित ए॰एन॰एम॰	- सदस्य।
(vi)	संबंधित क्षेत्र की सभी आँगनबाड़ी सेविका	- सदस्य।

(ख) ग्रामीण क्षेत्र हेतु पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति

(i)	संबंधित मुखिया	- अध्यक्ष।
(ii)	महिला पर्यवेक्षिका	- सदस्य सचिव।
(iii)	सभी विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष	- सदस्य।
(iv)	सभी विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव	- सदस्य।
(v)	संबंधित ए॰एन॰एम॰	- सदस्य।
(vi)	संबंधित क्षेत्र की सभी आँगनबाड़ी सेविका	- सदस्य।

(E) जन वितरण प्रणाली दुकान-स्तरीय सतर्कता समिति

(i)	संबंधित पंचायत के मुखिया अथवा नगर क्षेत्र में संबंधित संबंधित वार्ड के सदस्य	- अध्यक्ष।
(ii)	संबंधित पोषक क्षेत्र के वार्ड सदस्य	- सदस्य।
(iii)	संबंधित पोषक क्षेत्र के निकटस्थ मध्य/प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक	- सदस्य।
(iv)	संबंधित पोषक क्षेत्र की निकटस्थ आँगनबाड़ी सेविका	- सदस्य।

3. (क) सतर्कता समितियों के कार्य एवं दायित्वः-

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन सभी योजनाओं का कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करना यथा-

(a) खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड की लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाली सभी योजनाएँ (खाद्यान्न वितरण, चीनी वितरण योजना, नमक वितरण योजना, किरासन तेल वितरण, चना वितरण योजना आदि),

(b) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड की मध्याह्न भोजन/पूरक पोषाहार योजना। इस योजना के अन्तर्गत की सामग्रियों की खाद्य गुणवत्ता की रैण्डम जाँच स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से सतर्कता समितियाँ करायेंगी।

(c) महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड की पूरक पोषाहार योजना तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना,

(d) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड की जननी सुरक्षा योजना।

(ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में तथा किसी अनाचार या निधियों के दुर्विनियोग के संबंध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना।

(iii) खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड अथवा झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड द्वारा सीधे किसी भी स्तर की सतर्कता समिति को मार्गदर्शन दिया जा सकता है।

(iv) जिला स्तर एवं उसके नीचे के स्तर की सभी शिकायतों का निवारण जिला स्तर तक ही किया जायेगा। किसी विशिष्ट नीतिगत बिन्दु को उपायुक्त द्वारा राज्य स्तरीय सतर्कता समिति को प्रेषित किया जायेगा।

(v) समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व समिति के अध्यक्ष/सदस्य सचिव का होगा।

4. सतर्कता समितियों का कार्यकाल संबंधित समिति के अध्यक्ष के कार्यकाल तक रहेगा। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा सतर्कता समिति के गैर सरकारी सदस्यों को उनके पद से हटाया भी जा सकता है।

5. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का गठन कर विभाग द्वारा अधिसूचना निर्गत की जायेगी। जिला, प्रखण्ड/नगर निकाय, पंचायत/शहरी वार्ड एवं जन वितरण प्रणाली दुकान स्तर पर सतर्कता समिति के गठन की अधिसूचना संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत की जायेगी।

6. किसी भी स्तर पर गठित सतर्कता समिति को खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड कभी भी भंग कर सकता है एवं नयी सतर्कता समिति के गठन हेतु संबंधित प्राधिकार को आदेशित कर सकता है।

7. राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर आयोजित की जायेगी। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड द्वारा बैठकों की तारीख और अवधि को अधिसूचित किया जा सकता है। प्रखण्ड/नगर निकाय, पंचायत/शहरी वार्ड एवं जन वितरण प्रणाली दुकान स्तर पर गठित सतर्कता समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित होगी।

8. किसी स्तर के सतर्कता समिति के पदों के रिक्त रहने के कारण उसके कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

9. सभी स्तर के सतर्कता समितियों के गठन एवं क्रियान्वयन के लिए सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

10. उक्त से संबंधित विभागीय संलेख ज्ञापांक-1936, दिनांक 02.07.2019 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 02.07.2019 की बैठक के मद संख्या-13 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 638 -- 50